अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

रमेश कुमार पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी धूड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी

बनाम

दीपसिंह पुत्र नवसिंह जाति राजपूत निवासी धूड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी

मुकदमा संख्या 93 / 2022

तारीख हुकम		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
09.11.2022	यह वाद वादी की ओर से वकील श्री भंवरलाल सारण द्वारा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादी वकील द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी. जारी करनें का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादी वहन करेगा। वकील वादी को प्रतिवादीगण के सम्मन तलबी की दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते–प्रतिवादी की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 14.12.2022 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर SDO सिणधरी	
14.12.22	~~वादी वकील उप। वादी वकील द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु जारी रजिस्टर्ड सम्मन की पावती शीट पेश की। जो सम्मन की विधिवत पूरी पाई जाती हो। अप्रार्थी मोतीराम की तरफ से वकील श्री विष्णु चौधरी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आ. 1 नि. 10 सीपीसी पेश करते हुए [illegible] पेश किये जो शामिल मिसल होकर पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी रिपोर्ट वा प्रार्थना-पत्र जवाब के बहस अंकित 28.12.22 को पेश हो।~~ [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर SDO सिणधरी	

28.12.22 ~~वादी वकील उप.।~~
~~प्रतिवादी सं. 1से3 व 5से9 की तरफ से वकील श्री विजय चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 13 की तरफ से जवाब पेश किया। पत्रावली वास्ते शेष का जवाब एवं प्रार्थना पत्र जवाब आदेश 18.1.23 को पेश हो।~~

प्रतिवादी 1से3 5से9 की अ०स्टेटी हटाई जाती ... 23

SDO सिणधरी

18.1.23 ~~वादी वकील उप.। प्रतिवादी सं. 1से3 व 5से9 की तरफ से वकील श्री विजय चौधरी उप.। वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र 01-12-10 CPC का जवाब पेश किया जो शामिल रिकार्ड हो।~~
~~पत्रावली वास्ते शेष का रिप्लाई व प्रार्थना पत्र बहस आदेश 15-2-23 को पेश हो।~~

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

15-2-23 पत्रावली पेश हुई।
पीठासीन अधिकारी महो. अन्य सीजर कार्यों में व्यस्त रहने से पत्रावली वास्ते बहस आदेश 1-3-23 को पेश हो।

1-3-23 पत्रावली पेश हुई।
बार एसोसिएशन द्वारा रेफरेंस रखा जाने से पत्रावली वास्ते बहस तारीख 21.3.23 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

21.3.23 ~~पत्रावली पेश हुई।~~
~~बार एसोसिएशन द्वारा रेफरेंस रखा जाने से पत्रावली वास्ते बहस आदेश 2-5-23 को पेश हो।~~

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

93/2022

-5-23

पत्रावली आज पेश हुई।

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 3 व 5 से 9 के वकील उपस्थित।

पत्रावली वास्ते शेष प्रतिवादीगण का इन्तजार एवं प्रार्थना पत्र पर जवाब एवं बहस हेतु आईन्दा 31.05.2023 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

04-05-23

वादी स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। वादी स्वंय द्वारा उपस्थित होकर अपना वाद जरिये राजीनामा के विड्रो करने का निवेदन किया।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि उक्त वाद में पक्षकारान के मध्य गांव के मौजिज व्यक्तियों एवं आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है। अतः लोकहित की भावना से प्रेरित होकर हम अपनी ओर से प्रस्तुत उक्त वाद को विड्रो करना चाहते है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वाद जरिये राजीनामा के विड्रो किया जाये। वादी की तस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत भाटा द्वारा दी गई है।

हमने वादी स्वयं के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, चूंकि पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश एवं लोकभावना से प्रेरित होकर राजीनामा किया जाकर उक्त वाद को जरिये विड्रो खारिज करवाना चाहते है, ऐसी स्थिति में लोकभावना को दृष्टिगत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना अदालत उचित समझती है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त वाद इसी स्तर पर जरिये राजीनामा विड्रो के खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

गट्टू देवी
(गट्टू देवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत भाटा
पं. स. सिणधरी (बाड़मेर)